जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली—

प्रेस विज्ञप्ति 03.10.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अपने साथी को गोली मारकर घायल कर देने व रंजिशन दूसरे पक्ष के व्यक्तियों पर जानलेवा हमले की मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो दिनांक 27.09.2025 को सरवर पुत्र अनवर निवासी ग्राम ओदरी थाना झिंझाना जनपद शामली नें अपने मामा वासिद पुत्र इलियास निवासी ग्राम ख्वाजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को 1.अब्बास पुत्र यासीन 2.शहजाद पुत्र इलियास 3.नौशाद पुत्र यामीन व एक व्यक्ति नाम व पता अज्ञात निवासीगण ग्राम ओदरी थाना झिंझाना जनपद शामली के द्वारा गाली गलौंच करते हुये मारपीट कर जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 496/2025 धारा 109(1) /115(2)/352 बीएनएस बनाम अब्बास आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दौराने विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण करते हुये मौके से भौतिक व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये। विवेचना के दौरान मौके से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज आदि से ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा सरवर पुत्र अनवर द्वारा अपने सहयोगी सादाब उर्फ मोटा पुत्र जुल्फान, वाजिद उर्फ काला पुत्र इलियास, जग्गा पुत्र महल सिंह, दलेर सिंह पुत्र सुब्बा सिंह, इलू पुत्र रामकुमार उर्फ राजकुमार, मुरली उर्फ आर्यन पुत्र नामालुम, अरसद उर्फ काला पुत्र हारूण, भोल्लर उर्फ अकमल पुत्र अख्तर, सुमित पुत्र नामालुम के साथ मिलकर विपक्षी अब्बास, शहजाद पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था। अरशद उर्फ काला द्वारा फायर करते समय गोली इनके ही साथी वाजिद उर्फ काला के हाथ में लग गई। चूंकि मुकदमा वादी सरवर का भाई अफसर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद का प्रत्याशी है तथा विपक्षी अब्बास उपरोक्त भी प्रधान पद का प्रत्याशी है। आपसी वैमनस्यता के कारण सरवर उपरोक्त द्वारा उक्त घटना कारित की गयी तथा विपक्षीगण के विरुद्ध थाना झिंझाना पर तहरीर देकर मिथ्या आरोप अंकित कराते हुये मुकदमा दर्ज कराना पाया गया।

इसी क्रम में दिनांक 02.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अपने साथी को गोली मारकर घायल कर देने व रंजिशन दूसरे पक्ष के व्यक्तियों पर जानलेवा हमले की मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुये है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.भोल्लर उर्फ अकमल पुत्र अख्तर निवासी अब्दालनगर उल्हेनी थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कोतवाली शामली/कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 03.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/कैराना पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली/कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुधीर पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम भूरा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.अजमेर पुत्र आशा निवासी ग्राम पावटीकलां थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI